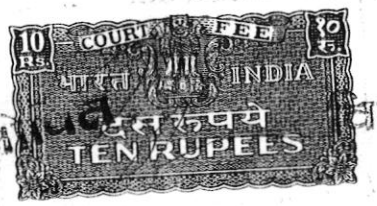

विलोपित

102

e-8PS 15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क्र0 /2004 पुनरीक्षण

R 1305-II/2004

श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी स्व0 गणेशप्रसाद वाजपेयी निवासी ग्राम ऐहार तहसील लालगंज जिला रायबरेली (उ0प्र0) हाल निवासी ग्राम खुटेही तहसील हुजूर जिला रीवा -- आवेदक

विरुद्ध

1- प्यारेलाल वाजपेयी तनय गणेशप्रसाद वाजपेयी निवासी ग्राम ऐहार तहसील लालगंज जिला रायबरेली (उ0प्र0)

2- विजयशंकर मिश्र } पुत्रगण शिवदुलारे मिश्र
3- कृष्णाशंकर मिश्र }

निवासीगण ग्राम घुमा तहसील त्योंथर जिला रीवा ------ अनावेदकगण

श्री सन्तोष वाजपेयी - एडवोकेट द्वारा आज दि. 7/10/04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

7 OCT 2004

अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 465/2003-2004 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2004 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

10-10-2008

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है :-

(1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 198/2

--- 2

... वसीयतकर्ता के ... न तो कोई रोक है और न ही

--- 3

R- 1905-II/04

11/8/17

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 465/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–7–2004 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

2/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि भूमि सर्वे कमांक 198/2 रकबा 0.11 ए. के हिस्सा 1/4 ए तहसील न्यायालय व्दारा बसीयत के आधार पर आवेदक का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई।

— क्रमशः →

[कृ. प. उ.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1305–दो/2004 निग0 जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	दिये बिना नामान्तरण किये जाने के कारण पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 465/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–7–2004 से अपील अस्वीकार की है, जिसका आधार यह है कि तहसील न्यायालय में प्यारेलाल के हितबद्व होते हुये भी पक्षकार बनाये बिना एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरण किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने प्यारेलाल के हितबद्व पक्षकार होने के कारण पक्षकार माने जाने एंव सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि नहीं की है, जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 9–7–04 वास्तविकता पर आधारित होने से फेर–बदल की गुँजायश नहीं है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 465/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–7–2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है। सही/–	